प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तहित्तर'

[11/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 4833]

विधान सभा अता. प्र.क्र. 4833

परिशिष्ट "अ"

①

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 4-8/29/1/2011 भोपाल, दिनांक 2.1.2012

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश
द्वितीय अपीलीय अधिकारी
2. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुभाग .... जिला ....
प्रथम अपीलीय अधिकारी
3. जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी
जिला ....
प्रथम अपीलीय अधिकारी
4. समस्त तहसीलदार
जिला ....
पदाभिहित अधिकारी
5. सहायक आपूर्ति अधिकारी
जिला मुख्यालय जिला ....
पदाभिहित अधिकारी

विषय : नवीन बीपीएल राशनकार्ड जारी करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ : 1. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7-95/2006/1/उन्तीस दिनांक 27.05.2006

2. लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24.09.2011 में शामिल सेवा क्रमांक 9.1

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवा "नवीन बीपीएल राशनकार्ड जारी करना" सेवा क्रमांक 9.1 के रूप में अधिसूचित होने के फलस्वरूप विभाग द्वारा नवीन राशनकार्ड जारी करने के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 7-95/2006/1/उन्तीस, दिनांक 27.05.2006 की कंडिका 8.2, 8.11 तथा प्रपत्र अ (2) को निरस्त करते हुये निम्नानुसार नवीन निर्देश स्थापित किये जाते हैं -

1. इस सेवा का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को शासकीय उचित मूल्य दुकान से वितरित की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने के लिये पात्र हितग्राहियों को नियत समय-सीमा में राशनकार्ड उपलब्ध कराना है। इस सेवा के अंतर्गत ऐसे हितग्राहियों को, जो बीपीएल राशनकार्ड की पात्रता रखते हैं, पदाभिहित अधिकारी द्वारा बीपीएल राशनकार्ड समय सीमा-30 कार्य दिवस में जारी किया जाना प्रावधानित है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

2. आवेदक सेवा प्राप्ति के लिये पात्र होगा यदि वह -

1. आवेदक का नाम गरीबी रेखा की सर्वे सूची में हो।
2. बताये गये पते पर निवास करता है।
3. उसका नाम अन्य किसी भी राशनकार्ड में न हो।

3. नवीन बीपीएल राशनकार्ड प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रारूप क. (1) (परि. 1) में आवेदन पत्र के साथ निम्न संलग्न करना आवश्यक होगा :-

1. निर्धारित शुल्क जमा करने का प्रमाण (रसीद)
2. निवास का प्रमाण। (मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति जिसमें उसका नाम हो बिजली/फोन का बिल, बैंक पासबुक, मकान/जमीन की रजिस्ट्री/संपत्ति कर की रसीद/निर्वाचन/पेन/टेन कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस, शासकीय आवास आंवटन/परिचय पत्र, गैस कंपनियों द्वारा जारी किये गये एलपीजी (गैस) कनेक्शन पत्रों में से एक की छायाप्रति एवं अन्य कोई ऐसा प्रमाण जिसमें आवेदक का निवासरत होना साबित होता हो)
3. पूर्व के निवास स्थान के राशनकार्ड का समर्पण प्रमाण पत्र अथवा समर्पण प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में स्वयं के नाम पूर्व से राशनकार्ड न होने का शपथ पत्र।
4. तीन पासपोर्ट साईज फोटो।
5. प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा आवेदक के नाम जारी बीपीएल का प्रमाण पत्र।

4. आवेदक से उसका मोबाइल नम्बर आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक 6 में प्राप्त करें, ताकि आवश्यकतानुसार उसे एसएमएस भेजा जा सके।

5. आवेदक को उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही उसे पदाभिहित अधिकारी द्वारा अभिस्वीकृति प्रदाय की जावेगी, जिसमें आवेदन के निराकरण की अंतिम तिथि भी उल्लेखित की जावेगी।

6. नवीन बीपीएल राशनकार्ड प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

कंडिका 3 के अनुसार आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ कंडिका 3.1 से 3.5 तक में उल्लेखित अभिलेख भी संलग्न करना होगा। आवेदन निम्न पदाभिहित अधिकारियों को प्रस्तुत किया जायेगा।

क्र.	राशनकार्ड	स्थान	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा
1	2	3	4	5
1.	नवीन बीपीएल राशनकार्ड	जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र	सहायक आपूर्ति अधिकारी	30 कार्य दिवस
		जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र	तहसीलदार	30 कार्य दिवस

संबंधित पदाभिहित अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने पर उसकी आवश्यक जांच उपरांत, निर्धारित अवधि में आवेदक को बीपीएल राशनकार्ड (प्रारूप संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार) जारी करना होगा। आवेदन पत्र निरस्त करने की स्थिति में पदाभिहित अधिकारी द्वारा लिखित में कारण उल्लेखित करते हुये आवेदक को सूचना निर्धारित अवधि में देनी होगी।

7. पदाभिहित अधिकारी द्वारा अधिसूचित सेवाओं के आवेदन पंजीयन करने हेतु एक ही पंजी संधारण की जावेगी। एक ही आवेदन को पृथक-पृथक पंजियों में इन्द्राज न किया जावे।

8. पदाभिहित अधिकारियों द्वारा प्रदाय की गई से असंतुष्ट व्यक्ति अपील कर सकेंगे। इस सेवा के लिये संदर्भित अधिसूचना अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी एवं जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व होंगे। इस सेवा के लिये द्वितीय अपीलीय अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे।

9. प्रथम अपील के निराकरण की समय-सीमा 30 कार्य दिवस होगी।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2.1.2012

पृ. क्रमांक एफ 4-8/29-1/2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता/खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय कल्याण विभाग, भोपाल।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. आयुक्त, सहकारिता, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. संचालक, नगरीय कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त) जिला पंचायत .... मध्यप्रदेश।
9. परियोजना अधिकारी (समस्त) जिला शहरी विकास अधिकरण .... मध्यप्रदेश।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग